**पूर्व मध्य रेल**
**परिचालन बुलेटिन सं 01/2025**
**OPERATING BULLETIN NO. 01/2025**

बिना गार्ड के मालगाड़ियों का संचालन सामान्य एवं सहायक नियम 4.25 के अनुसार किया जाना चाहिए । सहायक नियम 4.25 को नीचे पुनः उद्धृत किया जा रहा है –

**बिना गार्ड के मालगाड़ियों का परिचालन:-** अपवादस्वरूप परिस्थितियों में बिना गार्ड के मालगाड़ियाँ सीनियर डी.ओ.एम.के विशिष्ट आदेश से चलेंगी एवं ऐसे आदेशों का अभिलेख संबंधित नियंत्रण कक्ष में एक अलग रजिस्टर में रखा जाएगा। बिना गार्ड के गाड़ी चलने की स्थिति में गार्ड के वे कर्तव्य जो लोको पायलट के द्वारा संपादित किये जा सकते हैं, संपादन का दायित्व लोको पायलट सहायक लोको पायलट पर होगा। ऐसी सभी परिस्थितियों में निम्नलिखित सावधानियाँ बरती जानी चाहिए-

क. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि गाड़ी में निरन्तर निर्वात/एयरप्रेशर इंजन से सबसे पिछला वाहन जो ब्रेकवान भी हो सकता है, तक होना चाहिए। यदि मध्यवर्ती स्थान या क्रू बदलाव वाले स्टेशन पर कोई गार्ड प्रदान नहीं किया जा सकता है तो स्टेशन मास्टर द्वारा सूचित किये जाने पर लोको पायलट गाड़ी के ब्रेक शक्ति की जांच करेगा और सुनिश्चित करेगा कि गाडी चलाना संरक्षित है। ब्रेक शक्ति प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने के पूर्व लोको पायलट यह सुनिश्चित करेगा कि ब्रेकवान में आवश्यक मात्रा में निर्वात/ एयरप्रेशर उपलब्ध है। प्रारंभिक स्टेशन द्वारा वैक्यूम गेज/एयरप्रेशर गेज प्रदान किया जाएगा ।

ख. **लोको पायलट को अनिवार्य रूप से अंतिम वाहन संकेतक उपलब्ध कराया जाना** - लोको पायलट को दिये गये/उपलब्ध कराये गये अंतिम वाहन संकेतक को निश्चित रूप से सबसे पिछला वाहन के पिछले छोर पर लगाया जायेगा। रात्रि काल में ऐसी गाडियों के परिचालन हेतु टेललैम्प अनिवार्य है।

ग. **स्टेशन मास्टर द्वारा लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करना** - लोको पायलट को सर्तकता आदेश जारी किया जाएगा । जिसमें विशेष उल्लेख कर बताया जाएगा कि गाडी बिना गार्ड के चलनेवाली है और सेक्शन नियंत्रक को भी प्राईवेट नम्बर के आदान-प्रदान द्वारा इस तथ्य को सूचित किया जाएगा जो मार्ग के स्टेशनों को सूचित करेंगे। स्टेशन मास्टर द्वारा गाड़ी संख्या प्राप्त होने पर छोर के केबिन (इन्ड केबिन), जहाँ हों, और मार्ग के सभी टेलीफोन से युक्त समपार फाटकों के फाटकवाला को तदनुकूल प्राईवेट नम्बर के आदान-प्रदान के साथ सूचित किया जायेगा।

घ. **इंटरमीडियट ब्लॉक पोस्ट (आई.बी.पी.) को नियंत्रित करनेवाले ब्लॉक स्टेशन मास्टर के स्टेशन मास्टर** - यह जानकर कि गाड़ी बिना गार्ड के चल रही है, इस गाड़ी के पीछे कोई गाड़ी आई.बी.पी. तक नहीं भेजेगा जब तक कि बिना गार्ड के मालगाड़ी अगले स्टेशन पहुँच नहीं जाती है।

ङ. **फाउलिंग मार्क साफ सुनिश्चित करना** - जब कोई ऐसी गाडी किसी स्टेशन पर रुकती है, स्टेशन मास्टर/केबिनमैन सुनिश्चित करेगा कि गाड़ी का पूर्ण आगमन हो गया है और गाडी फाउलिंग मार्क को साफ कर खड़ी है।

च. **परिचालन की मनाही** - धुंध वाले मौसम, संचार साधनों की पूर्ण विफलता तथा दोहरीलाईन पर एकहरी लाईन कार्यप्रणाली लागू रहने के अवधि में बिना गार्ड के गाडियों के परिचालन की सख्त मनाही है।

छ. लोको पायलट को अतिरिक्त पटाखा सिगनल अपने साथ रखना चाहिए जो गाड़ी के आगे और पीछे दोनों ओर गाड़ी के रक्षा हेतु जिम्मेवार होगा।

ज. दुर्घटना, विफलता, बाधा या अन्य विशिष्ट कारणों से जब ऐसी गाड़ी स्टेशनों के मध्य रुक जाती है एवं लोको पायलट पाता है कि गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती है तो वह तत्काल सामान्य नियम 6.03 से अनुरूप गाडी की रक्षा आगे एवं पीछे दोनों ओर करेगा। रक्षा हेतु जाते समय इंजन को खाली नहीं छोड़ा जाएगा यदि वह रेल पटरी पर हो।

झ. **स्वचालित ब्लॉक क्षेत्र में** – जब तक आगे जाने वाली गाड़ी जिसे बिना गार्ड के चलने की अनुमति दी गयी है, जब तक अगले रिपोर्टिंग स्टेशन पर सम्पूर्ण पहुँच न गयी हो तब तक किसी गाड़ी को अनुगमन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ञ. **बिना गार्ड के चलने वाली गाड़ी में जब मार्ग में वैक्यूम / एयरप्रेशर संबंधी पेरशानी होती है तो लोको पायलट/सहायक लोको पायलट द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये जायेंगे: –**

i. सहायक लोको पायलट को पूरी गाड़ी में लीकेज होस/एयरप्रेशर पाईप विच्छेद इत्यादि की जाँच कर उसे देखना चाहिए। यदि स्टेशन सीमा में वैक्यूम/ एयरप्रेशर की परेशानी होती है तो कैरेज एवं वैगन कर्मचारी या काँटावाला/ पोर्टर की सहायता लिया जाएगा ।

ii. सहायक लोको पायलट को सुनिश्चित करना चाहिए कि सिवाय अंतिम वाहन के पिछले ऐंगल कॉक के सभी एयरब्रेक युक्त वैगनों के कट ऑफ ऐंगल कॉक खुली स्थिति में है।

iii. सहायक लोको पायलट को अंतिम वाहन के ब्रेकवान वल्व/कट ऑफ ऐंगल कॉक को संचालित कर वैक्यूम/ एयरप्रेशर की निरन्तरता सुनिश्चित करनी चाहिए ।

iv. लोको पायलट को प्रथम ब्लॉक सेक्शन में अपने द्वारा किये गये 'फील टेस्ट' के आधार पर गाडी की गति नियंत्रित करनी चाहिए ।

**टिप्पणी** :

क. यात्री वहन करने वाली गाड़ियों को बिना गार्ड के परिचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ख. ऐसी माल गाड़ियाँ जिनमें अंतिम वाहन ब्रेकवान नहीं हो, को बिना गार्ड के परिचालन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

ग. जब कोच/ सैलून जिनमें कोई यात्री नहीं चल रहा हो, अधिकतम दो की संख्या में जब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक ले जाना हो तो गाड़ी के अंतिम वाहन के पीछे टेलबोर्ड/ टेललैम्प लगा रहना पर्याप्त है और किसी गार्ड की आवश्यकता नहीं है । वैक्यूम/एयरप्रेशर की निरन्तरता अवश्य सुनिश्चित किया जायेगा।

"मंडलों को सलाह दी जाती है की सर्व-संबंधित को तत्काल वितरित कर गाड़ियों के संरक्षित परिचालन हेतु सभी कर्मचारियों को काउन्सलिंग कर सजग करें।"

MANOJ KUMAR RANJAN
Digitally signed by MANOJ KUMAR RANJAN
Date: 2025.08.28 13:17:32 +05'30'

(मनोज कुमार रंजन)
उप मुख्य परिचालन प्रबंधक (सा.)
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर

सं - ई.सी.आर./ परि.सं./ ऑपरेटिंग बुलेटिन/87/505, दिनांक 28.08.2025

प्रतिलिपि-

1. प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक एवं प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी को सादर सूचनार्थ।
2. मंडल रेल प्रबंधक/धनबाद, दानापुर, डी.डी.यू., सोनपुर एवं समस्तीपुर को सादर सूचनार्थ।
3. वरि.मं.परि. प्रबंधक/ धनबाद, दानापुर, डी.डी.यू., सोनपुर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु।
4. प्राचार्य / क्षे.रे.प्र. संस्थान, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु।

**पूर्व मध्य रेल**
**परिचालन बुलेटिन सं 02/2025**
**OPERATING BULLETIN NO. 02/2025**

जब गाड़ी को प्रस्थान करते समय पीछे धकेलना आवश्यक हो जाता है, तो सामान्य एवं सहायक नियम 4.35(3)(iv) का पालन किया जाना चाहिए । सहायक नियम 4.35(3)(iv) को नीचे पुनः उद्धृत किया जा रहा है

मालगाड़ी को स्टार्ट करते समय सामान्य परिस्थितियों में पीछे धकेलना प्रतिबंधित है, क्योंकि ऐसा करने से गाड़ी पीछे के खुले ट्रैप से अवपथित हो सकती है/ काँटा बर्स्ट कर सकता है/ बगल की लाइन के फाउलिंग मार्क का उल्लंघन कर सकती है, जिससे साइड से टक्कर आदि हो सकती है ।

हालाँकि, मालगाड़ियों को अनकपलिंग होने से रोकने के लिए, सीबीसी कपलिंग के साथ कुछ अपवाद के मामलों में पीछे धकेलने की आवश्यकता हो सकती है, जहाँ लोड को लंबे समय तक स्टेबल रखा जाता है या इसे उपद्रव संभावित क्षेत्र में रोका जाता है।

ऐसे मामलों में जब गाड़ी प्रस्थान करते समय पीछे धकेलना आवश्यक हो जाता है, तो निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए –

(क) लोको पायलट, कार्यरत स्टेशन मास्टर और गार्ड से वॉकी-टॉकी या अन्य उपलब्ध साधनों दवारा संपर्क करेगा और उन परिस्थितियों के बारे में बताएगा, जिनके तहत पीछे धकेलना आवश्यक है । ऐसा करने से पहले लोकों पायलट यह सुनिश्चित करेगा कि गाड़ी को संबंधित स्टार्टर सिगनल के नीचे तक लाया गया है ।

(ख) ऐसी सूचना मिलने पर, स्टेशन मास्टर गार्ड के साथ जांच करेगा कि पूश बैक करने के लिए पीछे की ओर स्पष्ट लंबाई उपलब्ध हैं और फिर यदि आवश्यक हो तो पीछे की ओर के काँटा सेट करने का निर्णय लेगा। वह संरक्षा सुनिश्चित करने और बगल की लाइन का साइड से टक्कर /उल्लंघन आदि, यदि कोई हो, से बचने के लिए अन्य गतिविधियों को भी देखेगा। लाइन क्लियर शर्तों के उल्लंघन से बचने के लिए विशेष ध्यान दिया जायेगा ।

(ग) पीछे धकेलते समय, गार्ड/सक्षम रेलवे कर्मचारी पीछे की ओर होने वाली गतिविधियों को देखेगा और लोको पायलट को अधिकृत साधनों द्वारा उचित रूप से चेतावनी देगा ताकि किसी भी असुरक्षित स्थिति से बचा जा सके। यदि आवश्यक हो तो वह त्वरित कार्रवाई करते हुए लोड के एयर प्रेशर को तुरंत ड्रॉप करेगा ।

(घ) लोकों पायलट सावधानी और उचित तरीके से गाड़ी को पीछे धकेलेगा ताकि कपलिंग जोड़ने के लिए लोड को केवल दो से तीन मीटर ही पीछे धकेला जाए।

(ड.) अपवादस्वरुप, जिनमें ऊपर पैरा (घ) में निर्दिष्ट सीमा से अधिक पीछे धकेलने की आवश्यकता होती है, तो ऐसा केवल तभी किया जाना चाहिए जब कार्यरत स्टेशन मास्टर की लिखित अनुमति प्राप्त कर ली गई हो और पर्यवेक्षण के लिए, गार्ड या सक्षम रेलवे कर्मचारी तैनात किया गया है। उपर्युक्त अनुमति देने से पहले कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि इस तरह के पुश बैक को संरक्षित करने के लिए सभी उपाय किए गए हैं।

(च) यदि पुशिंग एंड ढलान की ओर है, तो स्टेशन मास्टर द्वारा इस तरह के पुश बैक की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए यदि लाइन क्लियर दी गई है या कोई लाइन को उल्लंघन करने वाला संचलन चल रहा है ।

"मंडलों को सलाह दी जाती है की सर्व-संबंधित को तत्काल वितरित कर गाड़ियों के संरक्षित परिचालन हेतु सभी कर्मचारियों को काउन्सलिंग कर सजग करें।"

MANOJ KUMAR RANJAN Digitally signed by MANOJ KUMAR RANJAN
Date: 2025.09.23 16:06:48 +05'30'

(मनोज कुमार रंजन)
उप मुख्य परिचालनप्रबंधक (सा)
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर

सं .ई.सी.आर/ .परि.सं/.ऑपरेटिंग बुलेटिन /87 /505, दिनांक 23.09.2025.

प्रतिलिपि-

(1) प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक एवं प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी को सादर सूचनार्थ ।
(2) मंडल रेल प्रबंधक/ धनबाद, दानापुर, डी.डी.यू., सोनपुरएवं समस्तीपुर को सादर सूचनार्थ ।
(3) वरि.मं.परि. प्रबंधक/ धनबाद, दानापुर, डी.डी.यू.,सोनपुर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु ।

**पूर्व मध्य रेल**

**परिचालन बुलेटिन सं 03/2025**

**OPERATING BULLETIN NO. 03/2025**

स्टेशन से गुजरने वाली गाड़ियों के वाहन में किसी खराबी या अनियमितता पाये जाने पर सामान्य एवं सहायक नियम 4.29 के अनुसार कारवाई किया जाना चाहिए । सहायक नियम 4.29(1) को नीचे पुनः उद्धृत किया जा रहा है -

स्टेशन मास्टर एवं उनके कर्मचारियों को अपने स्टेशन से गुजरने वाली गाड़ियों के वाहन की स्थिति ध्यानपूर्वक देखना चाहिए और और किसी खराबी या अनियमितता पाये जाने पर, जैसे कि गर्म धूरा / रालर बीयरिंग का जाम होना, किसी वाहन में आग लगना, वस्तुओं का गाड़ी से गिरना, या अन्य असुरक्षित परिस्थितियाँ, जिससे रेल लाइन या लाइनें फाउल या बाधित होने की संभावना हो तो खतरे का हाथ सिगनल दिखाकर/स्थावर सिगनलों को 'ऑन' स्थिति में करके और लोको पायलट/गार्ड को वॉकी-टॉकी या अन्य उपलब्ध साधनों से सूचित करके गाड़ी को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। विद्युत इंजन के मामले में, यदि ट्रेन को स्टेशन पर नहीं रोका जा सकता है, तो सेक्शन कंट्रोलर और ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर को उस खण्ड की बिजली आपूर्ति बंद करने के लिए सूचित किया जाना चाहिए। साथ ही साथ स्टेशन मास्टर, तत्काल अगले स्टेशन को ब्लाक उपकरण पर, जहाँ उपयोग में हों, 000000 - 0 (छह पॉज़ एक) सिगनल द्वारा 'गाड़ी रोको और जाँच करो" के लिए सूचित करेगा और प्राइवेट नंबर के आदान-प्रदान के तहत भी सूचना देगा या उपलब्ध अन्य संचार साधनों से सूचित करेगा और सेक्शन कंट्रोलर को सूचित करेगा।

जब तक प्रभावित गाड़ी अगले स्टेशन पर पूरी तरह पहुँच नहीं जाती है तब तक ब्लॉक सेक्शन के दोनों छोर पर के स्टेशन मास्टर किसी गाड़ी या गाड़ियों को उस लाईन या सटे लाइन / लाइनों पर सेक्शन में संचलन की अनुमति नहीं देंगे। उसके बाद गाड़ी के लोको पायलट को परिस्थितियों की सूचना देकर एवं सतर्कता आदेश द्वारा पैनी नजर रखने की चेतावनी के साथ सेक्शन में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। सतर्कता आदेश जारी करना तभी बंद किया जाएगा जब यह सुनिश्चित हो जाए कि ब्लॉक सेक्शन में कोई अवरोध नहीं है ।

गाड़ी में कार्यरत कर्मचारी भी अपनी गाड़ी के दोनों तरफ लगातार देखते रहेंगे, जब गाड़ी चल रही हो यह देखने हेतु कि गाड़ी संरक्षित तथा उचित विधि से चल रही है /

“मंडलों को सलाह दी जाती है की सर्व-संबंधित को तत्काल वितरित कर गाड़ियों के संरक्षित परिचालन हेतु सभी कर्मचारियों को काउन्सलिंग कर सजग करें।”

MANOJ KUMAR RANJAN
Digitally signed by MANOJ KUMAR RANJAN
Date: 2025.10.28 17:20:57 +05'30'

(मनोज कुमार रंजन)
उप मुख्य परिचालनप्रबंधक (सा)
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर
दिनांक 28.10.2025.

सं .ई.सी.आर/ .परि.सं/.ऑपरेटिंग बुलेटिन /87 /505,

प्रतिलिपि-

(1) प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक एवं प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी को सादर सूचनार्थ ।
(2) मंडल रेल प्रबंधक/ धनबाद, दानापुर, डी.डी.यू., सोनपुरएवं समस्तीपुर को सादर सूचनार्थ ।
(3) वरि.मं.परि.प्रबंधक/ धनबाद, दानापुर, डी.डी.यू.,सोनपुर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु ।

सामान्यतः मध्यवर्ती ब्लॉक रोक सिगनल समपार फाटक की रक्षा करने वाले नहीं होंगे परंतु परिस्थितीय संकट में यदि इसकी आवश्यकता हो तो सामान्य एवं सहायक नियम 3.75 के अनुसार कारवाई किया जाना चाहिए । सहायक नियम 3.75 (5) को नीचे पुनः उद्धृत किया जा रहा है –

(i) इस प्रकार के आइ.बी.एस. सिगनल पोस्ट पर GR 3.17 (1) के अनुसार "IB" एवं "G" मार्कर दोनो लगा रहेगा। इन मार्करो में से किसी एक के खो जाने पर लोको पायलट को गलत सूचना दे सकता है या गुमराह कर सकता है। अतः इसे एक साथ वेल्डिंग द्वारा जोड़कर एक इकाइ के रूप में लगाया जायेगा ।

(ii) **समपार फाटक की रक्षा करने वाला मध्यवर्ती ब्लॉक रोक सिगनल को 'ON' स्थिति में पास करना :-** जब लोको पायलट उपर पैराग्राफ (i) में वर्णित "IB" एवं "G" मार्कर लगे ऐसे आइ.बी.एस. (IBS) सिगनल को 'ON' स्थिति में पाता है तब वह अपनी गाड़ी को सिगनल के पीछे खड़ा करेगा और एक लंबी और लगातार सीटी अलग-अलग अंतराल पर बजाकर गार्ड को इस संबंध में सूचित करेगा और सिगनल पोस्ट पर दिए गए टेलीफोन से पिछले ब्लॉक स्टेशन के स्टेशन मास्टर से संपर्क स्थापित करेगा।

(iii) लोको पायलट द्वारा टेलीफोन पर संपर्क स्थापित करने पर स्टेशन मास्टर यदि सिगनल को खराब पाता है तो स्टेशन मास्टर समपार फाटक को नॉन-इन्टरलॉक्ड मानेगा और समपार फाटक सड़क यातायात के विरुद्ध बंद होने के आश्वासन के रूप में गेटमैन से स्वयं प्राइवेट नंबर प्राप्त करेगा यदि समपार फाटक उसके नियंत्रण में है अथवा दूसरे छोर के स्टेशन मास्टर से प्राप्त करेगा यदि समपार फाटक उसके नियंत्रण में है। स्टेशन मास्टर लोको पायलट को मध्यवर्ती ब्लॉक रोक सिगनल को 'ON' स्थिति में पार कर अगले ब्लॉक सेक्शन में प्रविष्ट होने के लिए टेलीफोन द्वारा प्राधिकृत करेगा । वह लोको पायलट को प्राइवेट नंबर भी बताएगा जिस के अधीन उसने अगले स्टेशन से लाइन क्लीयर लिया है एवं गेटमैन से प्राइवेट नंबर प्राप्त किया है। लोको पायलट दोनों प्राइवेट नम्बरों को अपने मेमो बुक में लिखेगा, "एक छोटी, एक लंबी और एक छोटी (० - ०)" सीटी बजा कर गार्ड से आलराइट सिगनल प्राप्त कर सामान्य गति से आगे बढ़ेगा।

(iv) यदि ऐसे मध्यवर्ती ब्लॉक रोक सिगनल के पोस्ट पर दिया गया टेलीफोन खराब है और लोको पायलट पिछले स्टेशन से संपर्क स्थापित करने में असमर्थ होता है तो वह बार-बार संपर्क करने का प्रयास करेगा और सिगनल पर पाँच मिनट प्रतीक्षा करेगा और यदि इस दौरान सिगनल "OFF" नहीं होता है तो लोको पायलट ऊपर वर्णित ऐसे IBS सिगनल पर एक साथ जोड़कर लगाए गये IB" एवं "G" मार्कर को ध्यान से देख लेगा। वह इस संबंध में गार्ड को सूचित करने के लिए एक लंबी सीटी बजाकर, जिसे आवश्यकतानुसार दुहराया जा सकता है, और उसके साथ ऑलराइट सिगनल आदान प्रदान करने के उपरांत मध्यवर्ती ब्लॉक रोक सिगनल को 'ON' में पास करेगा और समपार फाटक तक सतर्कतापूर्वक बढ़ेगा। यदि गेटमैन उपस्थित है और हाथ सिगनल दिखा रहा है तो आगे बढ़ते हुए सतर्कतापूर्वक समपार फाटक को पास करेगा अथवा यदि गेटमैन उपस्थित नहीं है या उपस्थित है परंतु हाथ सिगनल नहीं दिखा रहा है तो वह समपार फाटक से पहले खड़ा हो जाएगा। यह सुनिश्चित कर लेने के पश्चात कि समपार फाटक सड़क यातायात के विरुद्ध बंद है और गेटमैन अथवा उसकी अनुपस्थिति में गाड़ी के इंजन कर्मीदल के किसी सदस्य से हाथ सिगनल प्राप्त कर लोको पायलट निर्धारित सीटी बाजाएगा और सतर्कतापूर्वक आगे ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करेगा और कोई बाधा जिसमे सेक्शन में किसी समपार फाटक (यदि कोई हो) का होना शामिल है, से पहले रुकने को तैयार रहेगा। जब इस तरह का सिगनल उपरोक्त तरीके से पास किया गया हो तो गाड़ी की गति लाइन की दृश्यता अच्छी होने की दशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होगी। जहां किसी कारण से आगे का लाइन साफ दिखाई न दे रहा हो तो लोको पायलट काफी धीमी गति से चलेगा जो किसी भी हालत में 10 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होगी। लोको पायलट काफी चौकन्ना रहेगा और तब तक

आगे बढ़ता रहेगा जब तक वह अगले रोक सिगनल तक पहुँच नहीं जाता। चाहे वह सिगनल "OFF" स्थिति में ही हो, लोको पायलट आने वाले किसी संभावित अवरोध के लिए सतत निगाह रखेगा और सिगनल के पहुँचने के पश्चात ही उसके निर्देश के अनुरूप कार्यवाही करेगा। अगले ब्लॉक स्टेशन पर लिए जाने के पश्चात, लोको पायलट सिगनल/टेलीफोन विफलता, जैसा भी मामला हो, की सूचना संचार माध्यम द्वारा / लिखित में करेगा।

(v) फिर भी यदि मध्यवर्ती ब्लॉक रोक सिगनल के पिछले ब्लॉक स्टेशन के स्टेशन मास्टर को इस बात की जानकारी है कि वह आइ.बी.एस. सिगनल खराब है तो आइ.बी.एस. से रक्षित समपार फाटक को नॉन-इन्टरलॉक्ड माना जायेगा और गाड़ी चलाने से पहले वह अगले स्टेशन से लाइन क्लियर प्राप्त करेगा और यह सुनिश्चित करने के लिए कि समपार फाटक भी सड़क यातायात के विरुद्ध बंद है, गेटमैन से प्राइवेट नंबर प्राप्त करेगा यदि समपार फाटक उसके नियंत्रण में है अथवा दूसरे छोर के स्टेशन मास्टर से प्राप्त करेगा यदि समपार फाटक उसके नियंत्रण में है। उसके बाद लोको पायलट को आगे मध्यवर्ती ब्लॉक रोक सिगनल को 'ON' स्थिति में बिना रुके लागू अन्य गति प्रतिबंध के अधीन, सामान्य गति से पास करने के लिए लिखित प्राधिकार टी /369 (3बी) पर दोनों प्राइवेट नम्बरों को दर्ज करते हुए जारी करेगा।

(vi) ट्रैक मशीन के एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक संचालन, टावर वैगन, रेल कार, मोटर ट्रॉली इत्यादि के मामलों में उपरोक्त वर्णित प्रावधानों को सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी प्रभारी रेल सेवक की होगी सिवाय सीटी बजाने एवं गार्ड से सिगनल आदान-प्रदान करने के संबंध में ऊपर के पैराग्राफ में उल्लिखित प्रावधानों को छोड़ कर।

“मंडलों को सलाह दी जाती है की सर्व-संबंधित को तत्काल वितरित कर गाड़ियों के संरक्षित परिचालन हेतु सभी कर्मचारियों को काउन्सलिंग कर सजग करें।”

MANOJ KUMAR RANJAN

Digitally signed by MANOJ KUMAR RANJAN
Date: 2025.11.27 15:45:52 +05'30'

(मनोज कुमार रंजन)
उप मुख्य परिचालनप्रबंधक (सा)
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर

सं .ई.सी.आर/ .परि.सं/.ऑपरेटिंग बुलेटिन /87 /505, दिनांक 27.11.2025.

प्रतिलिपि-

(1) प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक एवं प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी को सादर सूचनार्थ ।
(2) मंडल रेल प्रबंधक/ धनबाद, दानापुर, डी.डी.यू., सोनपुरएवं समस्तीपुर को सादर सूचनार्थ ।
(3) वरि.मं.परि. प्रबंधक/ धनबाद, दानापुर, डी.डी.यू.,सोनपुर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु ।

**पूर्व मध्य रेल**
**परिचालन बुलेटिन सं 05/2025**
**Operating Bulletin No. 05/2025**

वॉकी–टॉकी सेट्स का उपयोग सामान्य एवं सहायक नियम 14.01 के अनुसार किया जाना चाहिए । सहायक नियम 14.01 को नीचे पूणः उद्धृत किया जा रहा है :–

1) उपनगरिय खंडों को छोड़कर, स्वचालित सिगनलिंग व्यवस्था में दो स्टेशनों के बीच बिना निर्धारित ठहराव के गाड़ी खड़ा हो जाने एवं आगे बढ़ने की स्थिति में न होने पर एवं रिलिफ इंजन की आवश्यकता पड़ जाने पर उस ट्रेन का गार्ड जब गाड़ी को ले जाने के लिए रीलीफ इंजन आने वाली हो तब इंजन कर्मी दल का पथ प्रदर्शन करेगा ।

2) स्टेशन मास्टर वॉकी–टॉकी पर ऐसी गड़बड़ी की सूचना देगा, जिसके चलते लोको पायलट/गार्ड का ध्यान उनकी गाड़ी को नियंत्रित करने या रोके जाने के लिए आकृष्ठ करने की आवश्यकता है ।

3) वॉकी–टॉकी का सेट उपयोग इस नियमावली में उल्लिखित गाड़ियों के आगमन/प्रस्थान के लिए आवश्यक शर्तो को पूरा किये जाने में किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं करना चाहिए ।

4) वॉकी–टॉकी सेट का उपयोग लिखित प्रस्थान प्राधिकार, खतरे की स्थिति में खराब सिगनल को पास करने का प्राधिकार इत्यादि के विकल्प के रूप में नहीं किया जाना चाहिए ।

5) स्टेशन मास्टर द्वारा इन सेटों का उपयोग लोको पायलट/गार्ड को सिगनल का आस्पेक्ट/स्थिति बताने के लिए नहीं किया जायेगा । यदि कोई सिगनल 'ऑन' (लाल) की स्थिति में है तो लोको पायलट/गार्ड इसकी जानकारी दे सकते हैं ।

6) वॉकी–टॉकी सेट का उपयोग किसी विकल्प के रूप में या शारीरिक रूप से आदान–प्रदान किये जाने वाले सिगनल को हटाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए । यद्यपि पूरी लंबाई की गाड़ियॉ होने पर निम्नलिखित परिस्थितियों में वॉकी–टॉकी सेट का उपयोग लोको पायलट एवं गार्ड के बीच सिगनल आदान–प्रदान करने के लिए तब किया जा सकता है जब शारिरिक रूप से सिगनल आदान–प्रदान करना संभव न हो एवं सिगनल आदान–प्रदान करने की शर्ते पूरी कर ली गई हो :–

क. किसी स्टेशन से गाड़ी प्रस्थान कराने/खुलाने के लिए;

ख. ब्लॉक सेक्शन में सुरंग/गोलाई में खड़ी हो चुकी गाड़ी को खुलाने के लिए;

ग. चलती हुई स्थिति में जब गोलाई या भौगोलिक बनाबट के कारण संभव न हो ।

7) उक्त सभी परिस्थितियों में जहॉ स्टेशन मास्टर या लोगो पायलट या गार्ड वॉकी–टॉकी का उपयोग करते हैं, सूचना देते समय गाड़ी सं/स्टेशन नाम के साथ अपनी पहचान साफ–साफ बतायेंगे एवं दूसरे छोर से बात करने वाले व्यक्ति के परिचय की भी पूष्टि करेंगे ।

"मंडलो को सलाह दी जाती है कि सर्व–संबंधित को तत्काल वितरित कर गाड़ियों के संरक्षित परिचालन हेतु सभी कर्मचारियों को काउंसिलिंग कर सजग करें ।"

MANOJ KUMAR RANJAN
Digitally signed by MANOJ KUMAR RANJAN
Date: 2025.12.29 17:56:55 +05'30'

(मनोज कुमार रंजन)
उप मुख्य परिचालन प्रबंधक (सामान्य)
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर

सं. ई.सी.आर./परि.सं./ऑपरेटिंग बुलेटिन/87/505
दिनांक– 29.12.2025

प्रतिलिपिः–

1. प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक एवं प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी को सादर सूचनार्थ ।
2. मंडल रेल प्रबंधक धनबाद, दानापुर, डी.डी.यू, सोनपुर एवं समस्तीपुर को सादर सूचनार्थ ।
3. वरि. मं. परि. प्रबंधक धनबाद, दानापुर, डी.डी.यू, सोनपुर एवं समस्तीपुर को सादर सूचनार्थ ।
4. क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर और भूली को सूचनार्थ ।